

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 के अवसर पर प्रत्येक अध्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

अभ्यर्थी का नाम - भोठ उपनेरतार

पिता/प्रति का नाम - अव्युति दिन्नीन

क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं -

×

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-

- न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये -(i)
- दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या -(ii)
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति -(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड -
- काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो -(v)
- कारावास से मुक्त होने की तिथि -(vi)

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया

- अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण -(i)
- न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-(ii)
- क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है -(iii)
- यदि निष्पादित है, तो (iv)
 - (क) निष्पादन की तिथि -
 - (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण -

क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया (v) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि -

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (Acquittal) या उन्मोचित (Discharge) किये गये है, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें। -

- न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों -(i)
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या -

ממים צ Regd. No.-13627 Exp.Dt.-29/11

श्राम

ग्राभ

व्याभ

की अ

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छ: माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छ: माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें -

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है - ्री - भ

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -

अग्न

(iii) अपराध संख्या -

গ্রাস

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -

गुन्म

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलॉ)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

J. 2

3. क्या आपके विरूद्ध उक्त कोंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है -

00

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -

<u>भ</u>

(iii) अपराध संख्या -

Flory

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -

12

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र विरूप (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण -

310



5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नव

(क) अचल सम्पत्ति :-

(i) कृषि भूमि - पाँच करि

(ii) शहरी भूमि - अ

(iii) भवन - ऐक कमर का अनम निमान नाजार मुन्म करीन पो लारन स्पने मात्र उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

- (ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत :-
 - (i) नकद दूरन हजार रूपभ
- (ii) बैंक बैलेन्स आठ दुजार साम सो पंजाहरी। स्पान मात्र (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें)
- (iii) फिक्स डिपोजिट ब्रिट्ये (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
- (iv) बॉण्ड, शेयर ्रीन्री (इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)
- (v) वाहन ्रीक्रिं (निबंधन की छाया प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)
- (vi) आभूषणों का विवरण अनुन्न (पूर्ण विवरण दें)
- 6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिये जाएं (प्रमाण-पत्रों के साथ)
 - (ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ইন্ন



7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें - किका के के रोहा के किला के

में घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य है।

स्थान - विरोध

Md. अभे १२००० अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

^{*}जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

^{**}वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया। नोट:- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ ''शून्य'' अवश्य अंकित किया जाए। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिन्ह अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेप्टा की गई है और वह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।